राज्य द्वारा एडीपीओ।

आरोपी रूप सिंह उर्फ भूरा सहित श्री एम.पी.एस. राणा अधिवक्ता।

प्रकरण आज आरोप तर्क हेतु नियत है, किंतु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त पर धारा 435 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अभियोग है, जो कि अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय द्व ारा विचारणीय अपराध है। अतः उपार्पण पर तर्क श्रवण उपरांत यह आदेश किया जाता है।

यह आदेश आरक्षी केंद्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध कमांक 74/17 अन्तर्गत धारा 435 भा.द.सं. के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्पण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्त को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक : 21.03.15 को 15:00 बजे फरियादिया का मदारी वाला खेत ग्राम झांकरी में फरियादिया अपने मदारी वाले खेत पर अपनी जिठानी प्रतिभा बाई और देवर रिंकू जाट के साथ सरसों की कटी फसल के पूरों को इकट्डा कर रही थी, तभी समय करीब 3:00 बजे उसका पति रूप सिंह जाट शराब पीकर आया और जान बूझकर उसके खेत में रखी करीब एक पही सरसों की फसल की गंजी में आग लगा दी, जिससे उसकी सरसों की गंजी जलकर खाक हो गई। घटना उसकी जिठानी प्रतिभा बाई और देवर रिंकू जाट ने देखी। फरियादिया सीमा बाई द्वारा थाना मौ पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक :- 74 / 2017 अन्तर्गत धारा ४३५ भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। घटनास्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। नुकसानी व जप्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफतार किया गया। फरियादी / साक्षी सीमा बाई, प्रतिमा बाई, सतेंद्र सिंह व कल्ली उर्फ कल्याण के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा ४३५ भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपी के विरूद्ध धारा 435 भा.द.सं. के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्टया उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराधों में से धारा 435 भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्त प्रतिभूति पर मुक्त है, उसे अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र. सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि 26. 06.2018 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

> शिवानी शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद